प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
सहमति–सह–घोषणा फार्म
(स्वीकृत 'नामांकन अवधि–के दौरान योजना म शामिल होवइया सदस्य दुवारा भरे जाही)

कार्यलय परयोग बर

एजेंट/बीसी के नाव		एजेंसी/बीसी कोड सं.	
एजेंट/बीसी के बैंक खाता के विवरण–			
एजेंट/बैंकिग प्रतिनिधि के दस्तखत–			

PMJJBY (1)

मैं येखर बर एस.बी.आई लाईफ इंश्योरेंस के ' प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ' के सदस्य बने खातिर अपन सहमति देवथौं, जउन मास्टर पालिसी सं. 76001000135 के भीतर आपमन ले चलाये जाही।

मैं येखर बर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पी.एम जे जे बी वाई) के तहत आपमन के शाखा म खुले मोर बचत बैंक खाता म 330 रूपिया (तीन सौ तीस रू. मात्र) अऊ जीवन सुरक्षा के प्रीमियम खातिर सेवा कर, अगर लागू हो,ला नावे करें खातिर आपमन ला अधिकारित करथौं। येखर अलावा आने वाला समे म अगला अनुदेश ले ये योजना के भीतर जीवन सुरक्षा के संबंध म हर बछर 25 मई के बाद अऊ 1 जून ले पहिली 330 रूपिया अऊ सेवा कर,अगर लागू हो, या दूसर कोनो रूपिया जउन समे-समे म जब कभू तय करे जाही वो संसोधन के सूचना योजना म सम्मिलित करे जाही के संबंध म नवा रूप करे जाये बर तुरतेताही दे जाही।

मैं हा कोनो दूसर बैंक ला ये योजना खातिर प्रीमियम नावें करे खातिर प्राधिकृत नइ करे हौं। मैं जानथौं कि मोर मरे के बाद में जीवन सुरक्षा 2,00,000 रूपिया तक ले होही।

मैं हर योजना के नियम ला पढ़े हौं,समझे हौं अऊ ये योजना के सदस्य बने खातिर अपन सहमति देवथौं। मैं समूह बीमा योजना के सदस्य बने के संबंध म जउन जरूरी आपमन के निम्नांकित व्यक्तिगत विवरण,एस. बी. आई. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ला दे बर बैंक ला प्राधिकृत करथौं।

बैंक/केवाईसी दस्तावेजों के अनुसार आवेदक के विवरणः-

खाता धारक के नाव (बैंक के रिकार्डो के अनुसार)

बचत बैंक खाता सं.	आधार सं. कहूं हवय त
ई-मेल आईडी	मोबाईल नं.
नामिती के नाव/ठउर अऊ संबंध	अभिभावक के नाव अऊ ठउर (कहूं नामिति नाबालिग हे)
जनम तारीख	ठउर

मैं येखर बर ये योजना के तहत उपयुक्त नामिती ला नामित करथौं। काबर कि नामित नाबालिग हे ये सेती वोखर अभिभावक ला जइसे चाही वइसे नियुक्त करथौं।

मैं येखर बर घोषणा करथौं कि उपयुक्त जम्मो विवरण पूरा रूप ले सच हे अऊ मैं सहमत हवं अऊ घोषणा करथौं कि ये जानकारी योजना के सदस्य बने खातिर आधार होही अऊ कहूं कोनो सूचना गलत पाये जाही त ये योजना म मोर सदस्यता ला रद्द माने जाही।

तारीख..................

दस्तखत

ठउर.........

दस्तखत सत्यापित (शाखा कार्यालय) (बैंक शाखा के नाव अऊ कोड सहित मोहर)

PMJJBY (2)

पावती सह बीमा प्रमाण पत्र

येखर बर श्री/श्रीमती.. बचत बैंक खाता सं.............................. ..... आधार सं. ....हे, जउन मास्टर पालिसी सं. 76001000135 के भीतर एस. बी. आई. लाइफ इंश्योरेश कंपनी लिमिटेड म प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के सदस्य बने खातिर बताये बचत बैंक खाता ले खुदेच नावे (आटो डेबिट) बर सहमति देवत हौं अऊ येला अधिकारित करथौं अऊ 'सहमति सह घोषणा फार्म ' ला पाये बर ये शर्त ला स्वीकार करथौं कि पात्रता अऊ प्रतिफल रूपिया ला पाये के बारे म दिये जानकारी सही हे।

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के दस्तखत अऊ मोहर

'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना'
योजना के नियम भाग–□

1. परिभाषाएंः–

ये नियम म निम्नलिखित शब्द अऊ अभिव्यक्ति के अरथ निम्नानुसार होही बशर्ते कि वो ये संदर्भ म असंगत न होवेः–

क).– मास्टर पालिसी धारक भारतीय स्टेट बैंक होही जउन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के भीतर गठित ए रव कारपोरेट निकाय हे।

ख)– कंपनी से आशय 'एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ले होही, जउन ला इहां येखर बाद एसबी आई लाईफ कहे गे हवय।

ग)– योजना से आशय 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होही जउन बैंक के बचत बैंक खाता धारक बर हे।

घ)– 'नियमावली से आशय योजना के निम्नांकित अऊ समे–समे म संसोधित करे जाये वाले नियम ले होही।

च)– 'सदस्य' से आशय बचत बैंक खाता धारक ले होही, जेला योजना के लाभ पाये खातिर सदस्य बनाये गे हवय अऊ ये नियम के अनुसार जेखर जीवन के बीमा करे गे हवय या करें जाही।

छ)– प्रभावी होये के तिथि से आशय योजना के जारी करे के तिथि माने 1 जून, 2015 ले होही।

ज)– 'वार्षिकी नवीकरण तिथि' से आशय योजना के संबंध म 1 जून , 2016 से अऊ हर पहिली बछर म 1 जून होही।

झ)– 31.05.2015 तक नामांकित सदस्य के संबंध म ' सदस्यता ग्रहण करे के तिथि '01.06.2015 होही अऊ दूसर सदस्य के संबंध म प्रीमियम भेजे के तिथि होही।

ट)– हरेक सदस्य के संबंध म 'समाप्ति के तारीख' से आसय सदस्य के 5–5 बछर पूरा होये के बाद सालाना नवीकरन के तारीख से हे या जउन तारीख ले सदस्य बैंक म अपन खाता या प्रीमियम के भुगतान बंद करथे, येमा जउन पहिली होवय उही ले होही।

ठ)– 'बीमा' से आशय सदस्य के जिनगी खातिर असर बताये बीमा ले होही।

ढ)– 'लाभार्थी ' से आसय वो मनखे ले होही/जउन मनखे ले होही जेखर नियुक्ति सदस्य कोती ले नामित के रूप म करे गे हवय अऊ जेखर नाव/नावेच ला बैंक के रिकार्ड म दर्ज करे गे हवय।

2.– **'बैंक** योजना के संबंध म जम्मो मामला म सदस्य खातिर अऊ उनकर कोती के काम करही अऊ करे गे समझौता कोती ले करे गे काम अऊ बैंक कोती एसबी आई लाइफ ला देगे सूचना सदस्य खातिर बाधक होही।

3– **पात्रता**– सहभागी बैंक के बचत खाता धारक, जेखर उम्मर 18 साल पूरा ले 50 साल (जनमदिन के करीब उम्मर) के बीच हे उमन येमा सम्मिलित होये के पात्र हवय।

4– **आयु की स्वीकार्यता**– बचत बैंक खाता धारक कोती ले दे गे उम्मर के प्रमाण पाती के अनुसार बैंक कोती ले दर्ज उम्मर ।

5– **स्वास्थ्यता का प्रमाण** –नामांकन अवधि के बाद योजना म सम्मिलित होवे खातिर हरेक पात्र सदस्य कोती ले 'सहमती सह घोसना फार्म ' के अनुसार ,एस. बी. आई. लाइफ कोती जइसे चाही स्वास्थ्य के संतोषजनक प्रमाण जमा करना परही।

6– **प्रीमियम**– सदस्य के बचत बैंक खाता से प्रीमियम नावे करे जाही। सम्मिलित होये के तारीख उपर विचार करे बिन मायने नामांकन अवधि या पहिली साल के दौरान कहे गे तारीख के बाद प्रीमियम 330 रूपिया अऊ सेवा कर (कहूं देना होही त) होही। सालाना नवीकरण तारीख के संबंध म समे–समे पर निर्धारित दर के अनुसार नवीकरन प्रीमियम ले जाथे।

7– **बीमा**– बीमित सदस्य के मरे के बाद नामिती ल 2.00.000 रूपिया देय होथे।

8– **समाप्ति के तारीख से मृत्यु होने पर हितलाभ** :– समाप्ति के तारीख ले पहिली मर जाये म बीमा पालिसी के भीतर बीमित रूपिया नामित लाभार्थी ल देय होही, बशर्ते कि वो सदस्य के संबंध म प्रीमियम के भुगतान करके बीमा ला जारी रखे गे होवय।

9– **बीमा सुरक्षा के समाप्ति**– निम्नलिखित म ले कोनो भी स्थिति के होये ले सालाना नवीकरण तिथि ले संबंधित सदस्य के बीमा सुरक्षा समाप्त हो जाही अऊ योजना के भीतर वोला कोनो किसिम के लाभ देय नइ होही।

क)– सालाना नवीनीकरण तिथि म 5–5 साल के उम्मर होये पर (जनम दिन के करीब के उम्मर)

ख)– बैंक म खाता बंद होये म या बीमा सुरक्षा जारी रखे बर खाता म अधूरा बचत होये म।

10– **जोखिम आस्थगन**– कहूं नियत तिथि म प्रीमियम रूपिया के अदायगी बर खाता म अधूरा बचत रूपिया जइसे तकनीकी के वजह ले बीमा सुरक्षा उपर रोक लग जाये, त अइसना म अनुग्रह अवधि के बाद प्रीमियम रूपिया अऊ बने स्वास्थ्य के घोषणा पाती पाये जाये के बाद बीमा सुरक्षा फेर चालू करे जा सकथे।

11– **पूर्वानुमान या भार /बाधा पर रोक**– ये योजना के तहत बीमित लाभ केवल खास मनखे खातिर हे उनला कोनो भी किसिम ले समनुदेशित ,प्रभारित या हस्तांरित नइ करे जा सकथे।

12– **योजना में संसोधन या समापन**– बैंक या बीमा कंपनी के पास एक महिना पहिली सूचना दे के कोनो समे ये योजना ला समाप्त करे बर या सालाना नवीकरण के तिथि ला योजना के नियम म संसोधन करे के अधिकार हे। ये योजना के नियम म करे जाने वाला कोनो भी संसोधन 'बीमा कंपनी' या बैंक के एक दूसर के बीच समझौता के आधार पर होही।

13– **क्षेत्राधिकार**– ये योजना के तहत जारी करे जाने वाला जम्मों बीमा सुरक्षा भारतीय संविदा के भीतरेच होही अऊ वो हा यथा संसोधित बीमा अधिनियम ,1938 अऊ आयकर अधिनियम 1961 फेर वोखर बाद जारी कोनो किसिम के कानून सहित भारतीय कानून के तहत होही, कोनो सदस्य के मर जाये के बाद योजना के तहत मिलइया जम्मो लाभ भारतीय रूपिया म देय होही।

14– **समझौता– ज्ञापन**– ये योजना के भीतर जम्मो अवइया कोनो किसिम के बीमा सुरक्षा ला सम्मिलित करत बीमा कंपनी बैंक के संग एक समझौता ज्ञापन पूरा करही।

15– **अनुग्रह–अवधि**– बीमा कंपनी के बताये अनुसार कार्यालय म प्रीमियम के अदायगी बर नियत तिथि ले 30 दिन के अवधि– अनुग्रह अवधि होही। अनुग्रह– अवधि के दौरान मर जाये के बाद नियम 7 म परिभाषित बीमित लाभ प्रीमियम रूपिया के प्राप्ति पर ही देय होही।

16– **लाभार्थी का नामांकन**– हरेक सदस्य अपन पति/पत्नी एक या एक ले जादा बच्चा,अपन उपर निरभर मनखे के लाभार्थी के रूप म नामांकन करही। ये नामांकन समे–समे म यथा संसोधित बीमा अधिनियम 1938 के धारा 39 के अनुरूप होही। लाभार्थी अवस्यक होये के स्थिति म सदस्य कोती ले बीमा लाभ ल प्राप्त करे बर नामित मनखे जउन ला बताये गे हवय उही ला करे जाही। नामांकन ले संबंधित पूरा रेकार्ड बैंक तिर अपन पास रखे गे सदस्य रजिस्टर म दर्ज करे जाही। बीमित मनखे के मर जाये के बाद मिलइया मनखे ला जम्मो लाभ नामित लाभार्थी ला दिये जाही।

17– **अभ्यर्पण मूल्य/परिपक्वता लाभ**– ये पालिसी के तहत कोनो किसिम के कोनो अभ्यर्पण रूपिया या परिपक्वता लाभ देय नइ होही।

18– **दावे का निपटान**– मर जाये के सूचना मिले म संबंधित बैंक कोती ले नामित लाभार्थी ले प्राप्त बीमा प्रमान पत्र के दावा फार्म (अनुबंध 7) मृत्यु प्रमाण पत्र , डिस्चार्ज फार्म (अनुबंध 8) ला बीमा कंपनी के दावा निपटान इकाई कार्यलय स्तर पर निपटाये बर बैंक के विनिर्दिष्ट शाखा तिर भेज दिये जाही। दावा के स्वीकृति के बाद दावा के रूपिया नामिति के बैंक खाता म अदा कर दे जाही अउ बैंक के विनिर्दिष्ट शाखा (अनुबंध 9) ला येखर सूचना दे दिये जाही कहूं दावा के स्वीकृति नइ करे गे होही या कोनो दस्तावेज के जरूरत पढ़ही फेर घलो ये आशय के सूचना बैंक के विनिर्दिष्ट शाखा ला दे दिये जाही।

19– **प्रीमियम की दरें एवं बीमा शर्ते**– जउन बीमा शर्त अउ प्रीमियम के दर उपर बीमा कंपनी योजना ला लागू करइया तियार हे, तउन बैंक अऊ बीमा कंपनी के बीच समझौता के अनुरूप होही। कोनो भी सालाना नवीकरण के तिथि उपर बीमा कंपनी कोती समे–समे म जोखिम के सरत अऊ प्रीमियम दर म संसोधन करे जा सकथे, येमा सरत हे कि 3 महिना पहिली सूचना दे गे होही त।